

Pandit G. B. Pant: Whatever principles are either published in the country or are announced on the floor of the House, are expected to be known to every one who is affected thereby.

गढ़वाल में कोयले के डिपोजिट

*२१२०. श्री भक्त दर्शन : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १८ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तब से भारत के भूतत्ववीय परिमाण विभाग के एक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में लालढांगा के पास कोयले के डिपोजिट का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो पता लगाने में किस प्रणाली का प्रयोग किया गया और उसमें कितना समय लगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी विवरण पत्र के रूप में सभा-पटल पर रखी जाती है। [बेल्जिये परिशिष्ट, १०, अनुबन्ध संख्या ६२]

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा गया है इससे ज्ञात होता है कि ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के अफसरों की रिपोर्ट के अनुसार इन निक्षेपों का यानी डिपोजिट्स का कोई व्यापारिक या आर्थिक महत्व नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस विषय को सदा के लिये समाप्त कर दिया गया है या इस सम्बन्ध में अभी भी और कार्रवाई की जाने की आशा है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : एक्सपर्ट्स न जो राय दी है वह अच्छी तरह से जांच करने के बाद दी है और उन्होंने यह कहा है कि यदि और अधिक जांच इस एरिया में की जायेगी तो यह पब्लिक मनी का वेस्ट होगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट की यह निर्धारित नीति है कि जिन इलाकों में पहले से ही कोयले की खानें हैं वहीं पर उनका पूरी तरह आर्थिक विकास किया जाये और स्टील प्लांट इत्यादि वहीं पर लगाये जायें और दूसरे इलाकों की खानें बंद भी न की जायें और न किसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाय ?

डा० के० एल० श्रीमाली : खानें बंद करने का सवाल नहीं है। कई बार ज्योलोजिकल सर्वे को कहा गया है कि इस जगह कोयला है, उसके आफिसर गये और उन्होंने देखा और उन्हें पता लगा कि जो कोयला है उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है।

Art Treasures

*2121. **Shri S. C. Samanta :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the export of ancient Art Treasures is forbidden by law;

(b) if so, the cases of such illegal export of Art Treasures that have come to the knowledge of Government since 1947 and the action taken thereon;

(c) whether it is a fact that it has been established as a result of enquiries that some officers of the Customs Department helped in the smuggling out of Art Treasures;

(d) if so, the action taken against such officers; and

(e) whether Government intend to bring back the Art Treasures that have already been smuggled out of the country ?

The Minister of Revenue and Defence Expenditure (Shri A.C. Guha): (a) Yes Sir; the export of "antiquities" as defined in section 2 of the Antiquities (Export Control) Act, 1947 is prohibited except under the authority of a licence granted by the Central Government under section 3 *bid*.

(b) Only one such case has so far come to the knowledge of the Government. The case concerns the export of what was alleged to be the Jehangir Diamond; and it still under adjudication.